मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन

क्रमांक-674 आर-366/चार/ब-7-डीएमसी/11 भोपाल, दिनांक 25/08/2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय- भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह " ₹ " का उपयोग।

संदर्भ- (1) इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 884/611/10/ब-7/डीएमसी, दिनांक 09-08-2010
(2) इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 915/611/10/ब-7/डीएमसी/चार दिनांक 25/8/25-8-2010

भारत शासन द्वारा भारतीय मुद्रा के निर्धारित प्रतीक चिन्ह " ₹ " की जानकारी मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से प्रसारित की जा चुकी है।

2/- इसी अनुक्रम में अवगत कराया जाता है कि प्रतीक चिन्ह "₹" का उपयोग बेबसाईट http://tdil-dc.in पर दर्शित है। फोन्ट (Font) "सकलभारती" (SakalBharati) को डाउनलोड कर install कर सकते हैं,तथा कुंजी पटल पर "Alt Gr" +"4" के द्वारा टंकित किया जा सकता है।

3/-"₹" प्रतीक चिन्ह का उपयोग संदर्भित पत्र क्रमांक 2 एवं उपर्युक्त पैरा 2 में वर्णित बेबसाइट पर दर्शित प्रक्रिया का उपयोग कर किया जा सकता है।

4/-यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में क्रय किये जाने वाले कम्प्यूटर में यह सुनिश्चित करें कि कुंजी पटल में भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह "₹" के लिये भी व्यवस्था रहे।

नोट- संदर्भित पत्र की प्रतियां शासन के बेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग